From,

Abid Shamim,

Special Judge SC/ST Act,

Sonbhadra

To,

The Registrar General,

High Court of Judicature at

Allahabad.

Through,

The District Judge,

Sonbhadra.

Subject:

"Regarding exercise of one time option to switch from National Pension System/New Pension Scheme to Old Pension Scheme in compliance of letter No. 9691/IV- F-82 (Pension)Admin. (A) dated 16.07.2024 issued by Hon'ble court in the light of G.O. No. 14/2024/Sa-3-243/ X-2024/301 (1)/2024 dated 28.06.2024 read with G.O. No. 20/2024/Sa-3-243/ X-2024/301 (1)/2024 dated

11.07.2024 of the Government of U.P."

Sir,

Regarding the caption subject, it is most humbly submitted that the Hon'ble court through its letter no. 9691/IV- F-82 (Pension)/Admin. (A) dated 16.08.2024 has been pleased to invite applications in online mode on E-Service JO Portal as well as in offline mode from all the judicial officials of State of U.P. who fulfil the criteria as laid down in aforesaid G.O. dated 28.06.2024 as per proforma of Option Form.

The applicant was appointed as Additional Civil Judge (Junior Division) in UP Nyayik Sewa on 26.05.2006 on the basis of vacancy advetisment No. A-2/E-1/2003 dated 15.11.2003 and the applicant joined the aforesaid service on 16.06.2006. The said vacancy was advertised prior to issuance of State Government Notification No. Sa-3-379/X- 2005-301 (9)-2003 dated 28.03.2005. Therefor, the applicant want to opt for Old Pension Scheme under Uttar Pradesh Retirement benefit rules 1961.

Therefore, that the applicant is submitting his Option Form opting to switch over from National Pension System/ New Pension Scheme to Old Pension Scheme and the same kindly be accepted.

With Regard.

Enclosure: Duly filled Option Form.

Date: 16.08.2024

Office Of District Juage Sonbhadra

Yours Faithfully

Date | 6.08.2024 Letter No.-1499

Special Judge SC/ST Act

Sonbhadra

District Judge

sorbhadra

/home/sonbhadra/Desktop/DI Letter 2024.od

<u>शासनादेश संख्या—20 / 2024 / सा—3—276 दस—2024 / 301(1) / 2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 को</u> संलग्नक—

विकल्प पत्र

1	नाम :	आबिद शमीम
2	वर्तमान पदनाम—	विशेष न्यायाधीश (एस०सी० / एस०टी० एक्ट), सोनभद्र
3	वेतनमान—	जे—5 (144840—194660) में वेतन रूपये 172960/—
4	वर्तमान विभाग का नाम—	न्याय विभाग
5	राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम—	न्याय विभाग उ०प्र० द्वारा लोक सेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद
6	विज्ञप्ति की तिथि—	22—28 नवम्बर 2003, रोजगार समाचार (विज्ञापन संख्या—ए—2/ई—1/2003)
7	विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि—	26 मई 2006
8	योगदान की तिथि—	16 जून 2006
9	ज्ज्ञम तिथि—	24 फरवरी 1974
10	सेवा निवृति की तिथि—	28 फरवरी 2034

मैं श्री आबिद शमीम पुत्र / पूत्री श्री स्व० शमीम रजा शासनादेश संख्या—14 / 2024 / सा—3—243 / दस—2024 / 301 (1) / 2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (√) / नवीन पेंशन योजना (x) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर-

नाम-आबीद शमीम

पदनाम-अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), सोनभद्र।

घोषणा पत्र

मैं श्री आबिद शमीम यह घोषणा करता / क्रूर्ती हूं कि उपरोक्त क्रम संख्या—01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर- ग्रिंग hm

नाम-आबीद शमीम

पदनाम—अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), सोनभद्र।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री आबिद शमीम, पदनाम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),

सोनभद्र को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमित प्रदान की जाती है।

दिनांकः 16.08.2024

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

जोनमद्भ न्यायाधीश सोनभद्र (उ०प्र०)